

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

क्रमांक एफ2(1737)सूप्रौ/संस्था/13/2143165/2.11

जयपुर, दिनांक : 28/12/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित सूचना सहायको को निम्नलिखित शैक्षणिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र. स.	नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी	परीक्षा का नाम	अध्ययन का प्रकार
1.	श्री दीपेन्द्र चौधरी	कार्यालय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महामन्दिर, जोधपुर	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (Computer Sci.)	पत्राचार
2.	श्री धर्मपाल चौधरी	कार्यालय हरिबक्श कॉवटिया राजकीय जिला चिकित्सालय शास्त्रीनगर-जयपुर	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A ^{2nd} Year	पत्राचार
3.	श्री भोपाल सिंह यादव	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुजरी, ब्लॉक जहाजपुर भीलवाड़ा	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (Computer Sci.)	पत्राचार
4.	श्री दीपक कुमार कोली	कार्यालय राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सवाईपुर, ब्लॉक कोटडी भीलवाड़ा	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A ^{2nd} Year	पत्राचार
5.	श्री दीवान सिंह	कार्यालय (उपनिदेशक) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग धौलपुर	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	PGDCA	पत्राचार
6.	श्री गोविन्द जागिड	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढाणी बाढान खेतडी झुन्झुनू	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.C.A ^{3rd} Sem.	पत्राचार
7.	सुश्री बबीता सैनी	कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय चिकित्सालय नवलगढ झुन्झुनू	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A ^{2nd} Year	पत्राचार
8.	श्री भागचन्द सारण	कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगू जिला चित्तौड़गढ	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A	पत्राचार
9.	श्री जिगर कुमार रावल	कार्यालय सामु. स्वा. केन्द्र रायपुर जिला पाली	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc. (Computer Sci.)	पत्राचार
10.	श्री भावेश शर्मा	कार्यालय कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी सामु. स्वा. केन्द्र लालसोट जिला दौसा	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A (Lateral Entry)	पत्राचार
11.	श्री देवेन्द्र कुमार	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अजमेर	M.D.S University, Ajmer	M.C.A	स्वयंपाठी
12.	श्री गजेन्द्र सिंह चौहान	कार्यालय प्रा. स्वा. केन्द्र तिलवासनी, बिलाडा जोधपुर	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A ^{3rd} Year	पत्राचार
13.	श्री देवेश कुमार बच्छावत	कार्यालय कनिष्ठ विशेषज्ञ प्रभारी सामु. स्वा. केन्द्र राजलदेसर चूरु	Jaipur National University, Jaipur	M.C.A ^{2nd} (Lateral Entry) & Final Year	स्वयंपाठी
14.	श्री दिनेश कुमार	कार्यालय (उपनिदेशक) एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, ब्लॉक हेड क्वार्टर बसेडी धौलपुर	SIA College & SIA Computer Training Academy, Dholpur (JNU)	M.C.A	दूरस्थ शिक्षा
15.	श्री बिजेन्द्र कुमार जाटव	कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रा. स्वा. केन्द्र परीता, ब्लॉक करौली जिला करौली	The Institution of Engineers Kolkata	AMIE	स्वयंपाठी
16.	श्री भोपाल सिंह	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खजूरी ब्लॉक जहाजपुर भीलवाड़ा	Vardhman Mahaveer Open University, Kota	M.Sc.CS	पत्राचार

A

- उक्त शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-
1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
 2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
 3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
 4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
 5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
 6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
 7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
 8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
 9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
 10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी द्वारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यक्रम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर-मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
 11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यक्रम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षों-द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

—sd—

(ए.एम. देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष ।
2. संबंधित कर्मचारी ।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली ।
4. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट ।

P

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव